न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 201/2015
दायर दिनांक :– 01/02/2022
निर्णय दिनांक :– 22.02.2022

उनवान

1. गोपीलाल पिता भगवानलाल बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन

वादी

बनाम

1. मांगू पिता जालम बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
2. मोहन पिता जालम बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
3. भंवरिया पिता भज्या बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
4. नंदा पिता भज्या बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
5. मांगी पिता भज्या बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
6. मोहनी पिता भज्या बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
7. छगन पिता भगवान बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
8. सुडिया पिता रोड़ा बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन
9. दल्ला पिता धूला बागरिया निवासी बड़ी तहसील कपासन

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री एन.के.दाधीच
2. पैरोकार सरकार

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा बड़ी पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 99 में दर्ज आ.न. 1136, 1137, 1139 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 हैक्ट. एवं खाता संख्या 163 में दर्ज आ.नं. 381 किता 1 रकबा 0.14 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक हैं जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा [illegible] वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवानें हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी [illegible] उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत [illegible] डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु [illegible] डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.06.2016 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहु पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 15:45:19 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा हैक्टे. में
1	छगनलाल, गोपीलाल पिता भगवान बागरिया सा. देह	1139	0.55
2	मांगू, मोहन पिता जालम 2/3, भंवरिया, नंदा, मांगी, सोहनी पिता भजा 1/3 बागरिया सा. देह	1136 1137 1139	0.08 0.13 1.45
3	सुडिया पिता रोडा, मांगू, मोहन पिता जालम, छगन, गोपीलाल पिता भगवान, भंवरिया, नंदा, मांगी, सोहनी पिता भजा, दल्ला पिता धूला बागरिया सा. देह	381	0.14

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 15:45:19 IST
Reason: SelfAttested